उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H88878/सी–5/105 OA N. 654/2022 दिनांक 10-2-23
पंजीकृत

From,

Chief Environmental Officer,
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Lucknow.

To,

The Registrar General,
Princpal Banch,
Hon'ble National Green Tribunal,
Corpernicus Marg, New Delhi.

Sub: Action taken report of UPPCB regarding the garbage lying on the dumping site i.e. Bandha Road, Faizzullaganj, Priyadarshini Colony, Sector-D, Lucknow, in compliance of direction issued by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. no. 654/2022 Priyadarshini Colony D, Residence Welfare Society V/s State of UP and others vide its order dated 20.01.2023.

Sir,

In compliance of the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal dated 20.01.2023 on matter mentioned above, the Action Taken Report is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Enclosure: As above.

Your's Sincerely

(Dr. Ram Karan)
Chief Environmental Officer,
Circle-5

Copy to:

1. Shri Pradeep Mishra, Advocate for UPPCB.
2. Chief Law Officer, UPPCB, Lucknow.
3. Regional Officer, UPPCB, Lucknow.

Chief Environmental Officer,
Circle-5

Action taken report of UPPCB regarding the garbage lying on the dumping site i.e. Bandha Road, Faizzullaganj, Priyadarshini Colony, Sector-D, Lucknow, in compliance of direction issued by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. no. 654/2022 Priyadarshini Colony D, Residence Welfare Society V/s State of UP and others <u>vide its order dated 20.01.2023</u>

Hon'ble NGT, New Delhi vide order dated 20.01.2023 in the matter of O.A. no. 654/2022 Priyadarshini Colony D, Residence Welfare Society V/s State of UP and others has pleased to passed following direction:-

"......8. In these facts and circumstances, we enquired from the learned Counsel appearing for State PCB as to why no appropriate action has been taken by UPPCB against Nagar Nigam by assessing environmental compensation, initiating criminal proceedings, etc. but no explanation could be given.

9. Shri Mishra, learned Counsel for State PCB, however, stated that appropriate action would be taken by State PCB in due course of time. We find this situation to be highly dissatisfactory. A Statutory Regulator, despite there being no obstruction, has failed in discharging statutory duties with due devotion and has not taken any action which it was under statutory obligation to do. This, inaction and apathy on the part of a Statutory Regulator, in fact, encourages violators of environmental laws and norms to continue with their violations with impunity. The situation is highly deprecable and has to be condemned. In fact, Member Secretary,
UPPCB is liable to explain as to why he has not taken any action against the erring officials for the laxity shown by them.

10. We also find from record that operation of Municipal Solid Waste Transfer Station, Puraniya has been handed over to M/s Eco green Energy Private Limited, Lucknow but it has failed in its function. No action has been taken against the said company and no reason is also disclosed as to why appropriate action has not been taken.

11. Further, operating transfer stations with holding capacity of 150 tonnes by itself seems to be unacceptable. Rather, steps need to be taken for immediate transportation of waste to the processing site. This issue needs to be clarified in the next report and status of such other transfer stations existing and their siting criteria.

12. In these facts and circumstances, we find it appropriate to direct Member Secretary, UPPCB to appear before Tribunal on the next date to explain as to why it has allowed its officials to show laxity in performance of their statutory functions by allowing violators to continue to violate environmental laws and norms but statutory duties are not discharged. The action taken, if any, in the meantime, report shall also be given by State PCB.

....

List for further consideration on 13.02.2023......"

It is submitted that in compliance of order dated 16.09.2022 of Hon'ble NGT passed in the above mentioned Original Application, the Joint Committee comprising officials of Municipal Corporation, Lucknow and UPPCB, Lucknow inspected the dumping site i.e. Bandha Road, Faizzullaganj, Priyadarshini Colony, Sector-2, Lucknow on dated 12.12.2022. It was found that the Municipal Solid Waste Transfer station, Puraniya is spread over an area of approx 5485.7095 sq.mt. where

municipal solid waste collected at transfer station, Puraniya is sent to Shiveri Plant for MSW processing. The dumping site/center is operated by M/s Ecogreen Energy Pvt. Ltd., Lucknow. During inspection it was found that approx 100 ton of waste was observed collected at transfer station, due to accumulation of huge quantity of waste at center unpleasant order felt at and transfer station. The drainage system of the center was chocked due to municipal solid waste. Nagar Nigam Lucknow has sent a proposal for establishment of MRF cum Transfer Station but has not obtained CTO/Authorization from UPPCB. It was observed that Nagar Nigam, Lucknow has not complied MSW Rules, 2016.

2. It is submitted that on the basis of the recommendation of Regional Officer, UPPCB, Lucknow Environmental Compensation Rs. 2.40 Cr. against Nagar Nigam, Lucknow has been imposed vide letter no. H 88767/C-5/105/OA no. 654/23 dated 08.02.2023. The same is annexed as **Annexure No. 1**.

3. Further it is submitted that the Board has also recommended prosecution against the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow under E(P) Act, 1986 read with MSW Rules, 2016 under section-197 Cr.P.C to UP Government vide letter no. G 40119/C-5/105/OA no. 654/22/2023 dated 08.02.2023. The same is annexed as **Annexure No. 2**.

4. It is submitted that earlier the Board has already initiated action against Priyadershini Nagar, transfer station. Show cause notice under section-5 of E(P) Act, 1986 was issued to Municipal Commissioner Nagar Nigam Lucknow for non-compliance of Solid Waste Management Rules, 2016 not only to the transfer station Priyadershini Nagar but also to Ghaila Ghat, Mallapur and Dayal Paradise transfer station vide letter no. G29167/C-5/Sa.-86/18 dated 31.12.2018. The same is annexed as **Annexure No. 3**.

5. It is submitted that in pursuance of the show cause notice, the Board has issued closer order under section-5 of E(P) Act, 1986 (as amended) against the transfer station near Dayal Paradise Choraha, Vikas Khand-5, Gomti Nagar, Lucknow and the transfer station at Khasra no. 457, Vill-Mallapur, Dubaga, Lucknow vide letter no. G28764/C-5/36/WPN-14981/18 dated 19.11.2018 and vide letter no. H28434/C-5/36/WPNo.-9141/13/18 dated 16.11.2018 respectively. The same is annexed as **Annexure No. 4 and 5**.

6. It is submitted that in compliance of the closure orders issued to the transfer station near Dayal Paradise Choraha, Vikas Khand-5, Gomti Nagar, Lucknow and the transfer station at Khasra no. 457, Vill-Mallapur, Dubaga, Lucknow, Nagar Nigam, Lucknow closed down the operation of not only for the above station, but also closed the functioning of Priyadershini Nagar, transfer station, Puraniya, Lucknow.

7. It is submitted that it is evident from the petitioner's application that the transfer station at Priyadershini Nagar was not functional till March, 2022 as the letters of M/s FIM Hospital, 537/P12 (kh-13M), Pujraniya Tiraha, Faizullaganj, Lucknow, M/s Harsha Hospital, 1/82, Sector-C,

Priyadershini Yogna, Bandha Road, Near Puraniya Tiraha, Sitapur Road, Lucknow, M/s Verdham Hospital, 1/7, Sector-D, Priyadershini Colony, Bandha Road, Near Kiran Gas Agency, Sitapur Road, Lucknow, written in the month of May, 2022 (which have been annexed by the petitioner himself), clearly states that the Priyadershini Nagar, transfer station, Puraniya, Lucknow has started functioning since last 02 months i.e. March, 2022. The same is annexed as **Annexure No. 6, 7 and 8**.

It is humbly submitted that in the light of above facts it is relevant to mention here that UPPCB has performed its statutory duty by taking suitable action against the defaulters from time to time.

Therefore, the Action Taken Report of the UPPCB is being filed for your kind perusal and consideration before Hon'ble Tribunal.

10/2/2023

(Dr. Ram Karan)
CEO-Circle-5, UPPCB,
Lucknow

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H88767/सी–5/105/OA No. 654/23 दिनांक 08/02/2023
पंजीकृत

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

यह कि नगर निगम, लखनऊ द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ठ के निस्तारण हेतु प्रियदर्शिनी कालोनी डी. रेजीडेन्स वेलफेयर सोसाइटी, फेजुल्लागंज, लखनऊ के निकट ठोस अपशिष्ठ ट्रान्सफर स्टेशन स्थापित एवं संचालित है। उक्त ट्रांसफर स्टेशन स्थल का क्षेत्रफल लगभग 5485.7 वर्गमीटर है, जिसमें नगरीय ठोस अपशिष्ठ को एकत्रित/भण्डारित कर मैसर्स इको ग्रीन इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ पर उपचार हेतु परिवहन किया जाता है, जिसकी क्षमता लगभग–100 टन/प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ठ एकत्रित/भण्डारित कर परिवहन किये जाने की है।

यह कि नगर निगम द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ठ हेतु कार्यरत ट्रांसफर स्टेशन स्थल बन्धा रोड फैजुल्लागंज रोड निकट प्रियदर्शिनी कालोनी डी. रेजीडेन्स वेलफेयर सोसाइटी, लखनऊ का माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर वाद ओ0ए0 संख्या–654/2022 "प्रियदर्शिनी कालोनी डी. रेजीडेन्स वेलफेयर सोसाइटी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य" के आदेश दिनांक 16/09/2022 के अनुपालन में नगर निगम के साथ संयुक्त निरीक्षण दिनांक 12/12/2022 को किया गया था। निरीक्षण आख्यानुसार उक्त ट्रांसफर स्टेशन का मेन गेट ओपेन होने के कारण डम्पिंग साइट में जानवर प्रवेश कर जाते है जिनके द्वारा कूड़े को यत्र–तत्र कर दिया जाता हैं तथा संदर्भित स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ठ एकत्रित कर परिवहन किये जाने हेतु राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। नगर निगम द्वारा संदर्भित स्थल पर MRF Cum Transfer Station स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, परन्तु वर्तमान तक उक्त व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है। नगर निगम, लखनऊ द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 का उल्लंघन किये जाने के कारण बोर्ड के पत्रांक–एच 87613/सी–5/105/ओ0ए0 नं0–654/2022 दिनांक 21.01.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

यह कि नगर निगम, लखनऊ के पत्र संख्या–डी/872/प0अ0/22 दिनांक 01.02.2023 एवं पत्र संख्या–डी/872/प0अ0/22 दिनांक 04.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ शहर में नगर निगम, लखनऊ के समग्र सालिड वेस्ट के मैनेजमेण्ट के कार्यो हेतु मैसर्स इकोग्रीन इनर्जी प्रा0लि0, ग्राम–शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ द्वारा किया जाना अनुबन्धित है, परन्तु क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा किये गये अद्यतन निरीक्षण दिनांक 08.02.2023 को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार ठोस अपशिष्ट का निस्तारण होता नही पाया गया तथा स्थिति यथावत् पाई गयी।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या–2449/रिट याचिका–117/2023 दिनांक 08.02.2023 द्वारा नगर निगम, लखनऊ के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 के प्राविधानों के अंतर्गत, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 का उल्लंघन एवं MRF Cum Transfer Station समय से स्थापित न किये जाने हेतु जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 21.01.2023 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....2

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को बोर्ड के पत्रांक–एच 87613/सी–5/105/ओ०ए० नं०–654/2022 दिनांक 21.01.2023 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के विरूद्ध कुल रूपये 2,40,00,000/– (रूपये दो करोड़ चालिस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

उपरोक्त के संबंध में इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 2,40,00,000/– (रूपये दो करोड़ चालिस लाख मात्र) की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या– **701502010002104** आई०एफ०एस० कोड–**UBIN0570150** में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं उसके उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नगर निगम, लखनऊ के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या– 640119/सी–5/105/ OA No 654/22/2023 **दिनांक** 08/02/2023

पंजीकृत

सेवा में,

अनु सचिव,
पर्यावरण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

विषयः नगर निगम, लखनऊ के उत्तरदायी व्यक्तियों/अधिकारियों के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–197 के अन्तर्गत 'अभियोजन स्वीकृति' के संबंध में।

महोदय,

कृपया नगर निगम, लखनऊ एक निकाय है तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–16 के अन्तर्गत एक कम्पनी है। नगर निगम, लखनऊ शहर में नगरीय ठोस अपशिष्ठ के निस्तारण हेतु प्रियदर्शिनी कालोनी डी, रेजीडेन्स वेलफेयर सोसाइटी, फेजुल्लागंज, लखनऊ के निकट ठोस अपशिष्ठ ट्रान्सफर स्टेशन स्थापित एवं संचालित है।

नगर निगम द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ठ हेतु कार्यरत ट्रांसफर स्टेशन स्थल बन्धा रोड फैजुल्लागंज रोड निकट प्रियदर्शिनी कालोनी डी, रेजीडेन्स वेलफेयर सोसाइटी, लखनऊ का माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर वाद ओ0ए0 संख्या–654/2022 "प्रियदर्शिनी कालोनी डी, रेजीडेन्स वेलफेयर सोसाइटी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य" के आदेश दिनांक 16/09/2022 के अनुपालन में नगर निगम के साथ संयुक्त निरीक्षण दिनांक 12.12.2022 (निरीक्षण आख्या संलग्न) को किया गया था। निरीक्षण आख्यानुसार उक्त ट्रांसफर स्टेशन स्थल का क्षेत्रफल लगभग 5485.7 वर्गमीटर है, जिसमें नगरीय ठोस अपशिष्ठ को एकत्रित/भण्डारित कर मैसर्स इको ग्रीन इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ पर उपचार हेतु परिवहन किया जाता है। जिसकी क्षमता लगभग–100 टन/प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ठ एकत्रित/भण्डारित कर परिवहन किये जाने की है।

उक्त ट्रांसफर स्टेशन का मेन गेट ओपेन होने के कारण डम्पिंग साइट में जानवर प्रवेश कर जाते है जिनके द्वारा कूड़े को यत्र–तत्र कर दिया जाता हैं तथा संदर्भित स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ठ एकत्रित कर परिवहन किये जाने हेतु राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। नगर निगम द्वारा संदर्भित स्थल पर MRF Cum Transfer Station स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, परन्तु वर्तमान तक उक्त व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है। नगर निगम, लखनऊ द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 का उल्लंघन किया जा रहा है। नगर निगम, लखनऊ के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध नियम, 2016 का उल्लंघन एवं MRF Cum Transfer Station समय से स्थापित न किये जाने हेतु बोर्ड के पत्रांक–एच 87613/सी–5/105/ओ0ए0 नं0 654/2022 दिनांक 21.01.2023 द्वारा नगर निगम, लखनऊ के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस (छायाप्रति संलग्न) जारी किया गया है।

नगर निगम के पत्र दिनांक 01.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ शहर में जनित ठोस अपशिष्ट का समुचित पृथ्क्कीकरण, एकत्रण, भण्डारण, परिवहन, प्रोसेसिंग एवं निस्तारण सुनिश्चित कराये जाने हेतु नगर निगम, लखनऊ व मैसर्स इको ग्रीन ईनर्जी प्राइवेट प्रा0लि0 एवं कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (यूनिट आफ उ0प्र0 जल निगम) के माध्यम से त्रिपक्षी कन्सनायर एग्रीमेण्ट दिनांक 21.03.2017 सम्पादित किया जाना अनुबन्धित है, परन्तु ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध नियम, 2016 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु नगर निगम ही उत्तरदायी है।

...2

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेवसाइट -www.uppcb.com

TC-12-V, VibhutiKhand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ के पत्र दिनांक 02.02.20223 द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ एवं उसके प्रतिदिन कार्यो के लिये पदेन उत्तरदायी अधिकारी श्री इद्रजीत सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–15 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित अधिसूचना संख्या–394(ई) में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–19 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि नगर निगम, लखनऊ के उपरोक्त पदेन उत्तरदायी व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आते है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नगर निगम, लखनऊ के नगर आयुक्त श्री इद्रजीत सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–15 (सपठित) ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु दण्ड प्रकिया सहित की धारा–197 के अन्तर्गत सक्षम स्तर से 'अभियोजन स्वीकृति' प्रदान करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)

सदस्य सचिव

Annexure-3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–G29167 /सी–5/स्रा०-86/18 दिनांक 31-12-18
पंजीकृत

सेवा में,
नगर आयुक्त
नगर निगम,
लखनऊ।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ओ०ए० संख्या–606/2018 के आदेश दिनांक 12.10.2018 द्वारा गठित यू.पी. सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा अपेक्षा की गयी है कि घैला घाट, मलपुर, प्रियदर्शनी नगर, फेजुल्लागंज एवं दयाल पैराडाइज की पुरानी साइट पर गार्बेज/सॉलिड वेस्ट/बायो मेडिकल वेस्ट का भण्डारण न होना दिनांक 31.12.2018 तक सुनिश्चित किया जाए। कमेटी द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गये हैं कि नगर निगम, लखनऊ की म्यूनिसिपल सीमा के अन्तर्गत कोई भी गार्बेज/सालिड वेस्ट/मेडिकल वेस्ट तथा प्लास्टिक वेस्ट सड़क के किनारे भण्डारित न किया जाए तथा नगर निगम, लखनऊ के अन्दर ट्रैश बर्निंग **(Trash burning)** न होना सुनिश्चित किया जाए। यदि उक्त कृत्त करता हुआ पाये जाने पर नगर निगम, लखनऊ अथवा प्राधिकारी के विरूद्ध पर्यावरणीय विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए।

यह कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 08.06.2018 को नगर निगम, लखनऊ को ठोस अपशिष्ट के समुचित हथालन, भण्डारण एवं निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए हैं।

यह कि नगर निगम, लखनऊ को बोर्ड द्वारा दिनांक 08.06.2018 को दिए गए निर्देशों की अनुपालन आख्या अभी तक प्रेषित नही की गयी है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि नगर निगम, लखनऊ द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 के प्राविधानों के अधीन ठोस अपशिष्ट का हथालन, भण्डारण एवं निस्तारण न किए जाने से उत्पन्न प्रदूषण से जनसाधारण के स्वास्थ्य पर हो रहे प्रतिकूल प्रभाव को तत्काल रोका जाए।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन नगर निगम, लखनऊ को सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:–

1. निकट घैला घाट, मलपुर, प्रियदर्शनी नगर, फेजुल्लागंज एवं दयाल पैराडाइज नगर निगम, लखनऊ का समस्त गार्बेज, सालिड वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट आदि का सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, रूल्स 2016 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार दिनांक 31.12.2018 तक नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

.....2/–

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

2. निकट घैला घाट, मलपुर, प्रियदर्शनी नगर, फेजुल्लागंज एवं दयाल पैराडाइज नगर निगम, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि लखनऊ म्यूनिसिपल सीमा के अन्तर्गत क्रोई भी गार्बेज, सालिड वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट तथा प्लाटिक वेस्ट सड़क किनारे भण्डारित न किया जाए।
3. निकट घैला घाट, मलपुर, प्रियदर्शनी नगर, फेजुल्लागंज एवं दयाल पैराडाइज नगर निगम, लखनऊ सीमा के अन्दर ट्रैश बर्निंग **(Trash burning)** न होना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त निर्देशों की अनुपालन आख्या तत्काल बोर्ड को प्रेषित की जाए अन्यथा की स्थिति में नगर निगम, लखनऊ के जिम्मेदार व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डनात्मक कार्यवाई, जिसमें अभियोजनात्मक तथा जुर्माना अधिरोपित किया जाना भी सम्मिलित है, की जाएगी।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः— क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियम, 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमित निरीक्षण तथा आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। क्षेत्रीय अधिकारी को यह भी निर्देश दिए जाते है कि मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दिए गए निर्देशों/अपेक्षाओं का ससमय अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

उ[redacted] प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR[redacted]OLLUTION CONTROL BOARD Annexure-1 121

पत्रांक संख्या– 928764 /सी–5/36/WPN-14981/18

दिनांक 19/11/18
पंजीकृत

सेवा में,
नगर आयुक्त
नगर निगम,
लखनऊ।

यह कि विकास खण्ड–05, गोमती नगर, लखनऊ में दयाल पैराडाइज चौराहा के निकट नगर निगम, लखनऊ द्वारा ठोस अपशिष्ट का एकत्रण का कार्य किया जा रहा है।

यह कि उक्त वर्णित स्थल का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.11.2018 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ठोस अपशिष्ट एकत्रण स्थल की बाउन्ड्री लगभग 05 फिट ऊँची है तथा फर्श में ब्रिक सोलिंग की गयी है। एकत्रण स्थल को कवर्ड नही किया गया। अस्थाई रूप से एकत्रित ठोस अपशिष्ट के कारण स्थल के आस–पास दुर्गन्ध व्याप्त पाई गयी। एकत्रण स्थल परिसर में लीचेट शोधन की व्यवस्था नही पाई गयी जिसके कारण लीचेट का निस्तारण स्थल के सन्निकट स्थित नालें में होने की पूर्ण सम्भावना है।

यह कि उक्त स्थल पर लखनऊ शहर के गोमती नगर व गोमती नगर विस्तार क्षेत्र के कुल 08 वार्डों से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ठों का संग्रहण नगर निगम के कवर्ड छोटे वाहनों द्वारा एकत्रित किया जाता है। निरीक्षण के समय स्थल पर लगभग 150 से 200 टन/दिन नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित कर नगर निगम के बड़े कवर्ड वाहनों (डम्पर) द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शिवरी में भेजा जाता है तथा जेसीबी मशीन द्वारा अपशिष्ट को डम्पर में भरते हुए पाया गया।

यह कि मुख्य नगर नियोजक (ट्रान्स गोमती), लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या–157/मु.न.नि/2018 दिनांक 14.06.2018 के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग लखनऊ महायोजना–2021 के अन्तर्गत "पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी" अंकित है तथा वर्तमान में प्रभावी लखनऊ महायोजना–2031 में भी उक्त स्थल का भू–उपयोग "पार्क एवं खुले स्थल" अंकित है।

यह कि प्रश्नगत स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रण का कार्य लखनऊ महायोजना–2021 एवं वर्तमान में प्रभावी महायोजना–2031 के वर्णित भू–उपयोग के विपरीत किया जा रहा है तथा उक्त कृत्य से जनित दुर्गन्ध व सम्भावित लीचेट निस्तारण से पर्यावरण व जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट का एकत्रण खुले में बिना कवर्ड शेड के अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के नियम–15 एवं नियम–22(6) का भी अनुपालन नही किया जा रहा है।

यह कि पूर्व में बोर्ड के पत्रांक–एच 23812/सी–5/एच.सी.–लखनऊ–36/18 दिनांक 24.07.2018 के माध्यम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित की धारा–5 के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था:–

"यह कि क्यों न विकास खण्ड–05, गोमती नगर, लखनऊ में दयाल पैराडाइज चौराहा के निकट स्थित नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रण व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से निषेधित कर दिया जाये।"

नगर निगम को उक्त कारण बताओ नोटिस में प्रदत्त 15 दिन की समयावधि समाप्त होने के उपरान्त अभी तक उक्त कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर बोर्ड कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है।

.....2/–

(2)

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ [illegible]ताव प्रदान करने हेतु उक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधि की धारा–5 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन व सक्षम अधिकारी की अनुमति कार्यदायी संस्था नगर निगम, लखनऊ को निम्नवत् निर्देश जारी किया जाता है–

"यह कि विकास खण्ड–05, गोमती नगर, लखनऊ में दयाल पैराडाइज चौराहा के निकट स्थित नगरी ठोस अपशिष्ट एकत्रण व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से निषेधित किया जाता है।"

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित स्थल पर नगरीय ठोस अपशि एकत्रण व्यवस्था के संचालन कार्य को निर्गत निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायें जाने हेतु संबंधि अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित स्थल पर नगरीय ठोस अपशि एकत्रण व्यवस्था के संचालन कार्य को निर्गत निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायें जाने हेतु संबंधि अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की नगर निगम, लखन को जारी निर्देश का जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराये । आख्या तत्काल प्रेषित करें तथा निर्देश सुनिश्चित करने के संबंध सतत् अनुश्रवण आख्या बोर्ड मुख्यालय ससमय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण [redacted]

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H28434 /सी–5/38/ W.P. No-9141/13/18 दिनांक 16-11-18

पंजीकृत

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम,
लखनऊ।

यह कि लखनऊ जनपद के खसरा संख्या–457, ग्राम–मल्लपुर, दुबग्गा के निकट स्थित ठोस अपशिष्ट एकत्रण ट्रान्सफर का कार्य किया जा रहा है।

यह कि उक्त वर्णित स्थल का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.11.2018 को किया गया, निरीक्षण के समय मेसर्स इकोग्रीन इनर्जी प्रा0लि0 के प्रतिनिधि श्री राम दुलारे विश्वकर्मा (गार्ड) उपस्थित थे। यह कि उक्त स्थल पर लखनऊ शहर के ग्राम–मल्लपुर, दुबग्गा के सन्निकट स्थापित ठोस अपशिष्ट एकत्रण ट्रान्सफर स्टेशन स्थल के कुल 03 जोन (जोन–1, जोन–2, जोन–6) से जनित ठोस अपशिष्टों का संग्रहण कर नगर निगम के कवर्ड छोटे वाहनों द्वारा उक्त स्थल पर एकत्रित किया जाता पाया गया। नगरीय ठोस अपशिष्ठों का संग्रहण नगर निगम के क़वर्ड छोटे वाहनों द्वारा एकत्रित किया जाता है। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 100 टन/दिन नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित कर नगर निगम के वाहनों (डम्पर) द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शिवरी में भेजा जाता है, तथा जेसीबी मशीन द्वारा एकत्रित ठोस अपशिष्टों को नगर निगम के बड़े वाहनों (डम्पर) में भरते हुए पाया गया।

यह कि ठोस अपशिष्ट एकत्रण स्थल के पूरब दिशा में ग्राम–मल्लपुर एवं उसकी आबादी स्थित है। पश्चिम दिशा के सन्निकट इण्डियन आयल का पेट्रोल पम्प तथा लगभग 40 मीटर की दूरी पर हरदोई दुबग्गा बाई पास रिंग रोड स्थित है। दक्षिण दिशा में लगभग 30 मीटर की दूरी पर मेसर्स बसंल ब्रिक फील्ड नामक ईंट भट्ठा स्थापित है उत्तर दिशा में रिक्त भूमि एवं आवासीय कालोनी स्थित है।

यह कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ठोस अपशिष्ट एकत्रण स्थल की बाउन्ड्री लगभग 05 फिट ऊँची है तथा एकत्रण स्थल की फर्श में बिक सोलिंग की गयी है। एकत्रण स्थल को कवर्ड नही किया गया है तथा अस्थाई रूप से एकत्रित ठोस अपशिष्ट के कारण स्थल के आस–पास दुर्गन्ध व्याप्त पाई गयी। एकत्रण स्थल परिसर में लीचेट शोधन की व्यवस्था नही पाई गयी है।

यह कि ग्राम–मल्लपुर, दुबग्गा, लखनऊ पर स्थापित अपशिष्ट एकत्रण ट्रान्सफर स्थल द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्रमाण पत्र एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त नही किया गया है। उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में याचिका सं0–9141/2013 इरशाद हुसैन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य लम्बित है।

यह कि पूर्व में बोर्ड के पत्रांक–एच 25271/सी–5/38/डब्लू.पी. नं0–9141/13/18 दिनांक 27.08.2018 के माध्यम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित की धारा–5 के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था:–

"यह कि क्यों न लखनऊ जनपद के खसरा संख्या–457, ग्राम–मल्लपुर, दुबग्गा स्थित नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रण ट्रान्सफर स्टेशन को तत्काल प्रभाव से निषेधित कर दिया जाये।"

नगर निगम को उक्त कारण बताओ नोटिस में प्रदत्त 15 दिन की समयावधि समाप्त होने के उपरान्त अभी तक उक्त कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर बोर्ड कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है।

.....2/–

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

(2)

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु उक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित व धारा–5 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन व सक्षम अधिकारी की अनुमति से कार्यदार संस्था नगर निगम, लखनऊ को निम्नवत् निर्देश जारी किया जाता है–

"यह कि लखनऊ जनपद के खसरा संख्या–457, ग्राम–मल्लपुर, दुबग्गा स्थित नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्र ट्रान्सफर स्टेशन को तत्काल प्रभाव से निषेधित किया जाता है।"

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रण ट्रान्सफर स्टेशन व संचालन कार्य को निर्गत निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायें जाने हेतु संबंधित अधीनस्थ को निर्देशित कर का कष्ट करें।
2. पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रण ट्रान्सफर स्टेश के संचालन कार्य को निर्गत निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायें जाने हेतु संबंधित अधीनस्थ को निर्देशि करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की नगर निगम, लखनऊ व जारी निर्देश का जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराये एवं आख्य तत्काल प्रेषित करें तथा निर्देश सुनिश्चित करने के संबंध सतत् अनुश्रवण आख्या बोर्ड मुख्यालय में ससम प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

F.I.M. HOSPITAL

537/पी0–12, (ख–13एम), पुरनिया तिराहा, फैजुल्लागंज, बन्धा रोड लखनऊ
537/P-12 (Kh-13 M)] Puraniya Tiraha, Faizullaganj. Bandha Road, Lucknow
Mob. : 9554882354, 8707776568

जिससे यह सम्बन्धित हो

क्षेत्र में फिर से शुरु किये गए (विगत दो माह से) कूड़ा निस्तारण केन्द्र की वजह से श्वास सम्बन्धित एवं पेट से सम्बन्धित बीमारियों के मरीजो की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है।

अतः इस कूड़ा निस्तारण केन्द्र को तत्काल बंद कराने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

F.I.M. HOSPITAL
537/P-12,(Kh-13M),Puraniya Tiraha, Faizullahganj, Bandha Road, Lucknow
Mob. No.9554882354,8707776568
15/05/22

Dr. KALLYAN MULLICK
M. D. Medicine
15/05/22

आवेदक

एफ0आई0एम0 हास्पिटल
537/पी0–12, (ख–13एम), पुरनिया तिराहा,
फैजुल्लागंज, बन्धा रोड लखनऊ

HARSHA HOSPITAL
हर्षा हॉस्पिटल
HARSHA HOSPITAL
सुपर मल्टीस्पेशियल्टी हॉस्पिटल
AN ISO 9001 : 2008 CERTIFIED HOSPITAL
1/82, सेक्टर-सी, प्रियदर्शिनी योजना, (बन्धा रोड) निकट-पुरनिया तिराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ
Mob. : 9839476501, 9839853105

जिससे यह सम्बंधित हो

क्षेत्र में फिर से शुरू किये गए (विगत दो माह से) कूड़ा निस्तारण केंद्र की वजह से श्वास सम्बंधित एवं पेट से सम्बंधित बीमारियों के मरीज़ो की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है।

अतः इस कूड़ा निस्तारण केंद्र को तत्काल बंद कराने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

HARSHA HOSPITAL
1/82, Sec-C, Priyadarshini Yojna
Sitapur Road, Lucknow
Regd. No. HOS/09/155

Asingh
Dr. ABHIJEET SINGH
MBBS, MD (Medicine)
Reg No. 62262

आवेदक

हर्षा हॉस्पिटल

सेक्टर-सी प्रियदर्शिनी योजना

बंधा रोड पुरनिया लखनऊ

Vardhman Hospital
1/7, Sector-D, Priyadarshni colony, Bandha Road, Near Kiran Gas Agency,
Sitapur Road, Lucknow - 226020
: 0522 3595135, : 9454926432

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is regarding the reopened Garbage House(since 2 months) at Bandha road; Priyadarshani colony site. The functioning of the garbage house at this residential site is not permissible and is causing a great health hazard to general public specially related to RESPIRATORY ILLNESS/ASTHMA; Stomach related illnesses; increasing cases of breathing problems and diarrhoea and many more.

So it is kind request to the competent authority to do the needful and shift the garbage house and stop the functioning of same with immediate effect .

Thanking You

15/05/2022

VARDHMAN HOSPITAL

Dr. Vaibhav Jain
(Director; Vardhman Hospital)
Priyadarshani Sector D ; Bandha Road
Lucknow

Dr. Vaibhav Jain
MBBS, MD
Reg. No. 48952